पारिश्रमिक भुगतान के लिए दफ्तर का चक्कर लगा रहीं रसोइयां

रसोइयों को तीन साल का नहीं मिला पारिश्रमिक भुगतान, साझा चूल्हा कार्यक्रम का है मामला

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 11 दिसम्बर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित साझा चूल्हा कार्यक्रम योजना धीरे-धीरे दम तोड़ रही है। आलम यह है कि रसोइयों को 48 महीने में से केवल 6 हजार रूपये अब तक भुगतान बतौर पारिश्रमिक के रूप में आईसीडीएस के द्वारा किया गया है। वहीं समूहों को सामग्री का भुगतान भी तीन-चार महीने से नही किया जा रहा है।

गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित साझा चूल्हा योजना जिले में अधिकारियों की भारी लापरवाही की वजह से गंभीर संकट में है। योजना से जुड़े रसोइयों को पिछले तीन वर्षों से परिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया है। लगातार इंतजार और आश्वासन के बाद भी भुगतान न होने से रसोइयों की आर्थिक हालत बदतर हो चुकी है। योजना संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे स्वयं सहायता समूहों को भी अगस्त 2025 से एक भी भुगतान नहीं मिला है। भुगतान बंद होने के कारण समूह उधारी पर राशन खरीदकर किसी तरह भोजन प्रबंध चला रहे हैं, जबकि उधारी अब इतनी बढ़ चुकी है कि दुकानदार भी आगे उधार देने से पीछे हट रहे हैं।

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की घोर लापरवाही का खामियाजा समूहों को भुगतना पड़ रहा है। समूह संचालक महिलाओं का कहना है कि कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद अधिकारी भुगतान में देरी का ठोस कारण बताने तक से बच रहे हैं। अधिकारी सिर्फ मध्यांचल ग्रामीण बैंक के खातों को सक्रिय न होने का बहाना देते हैं और खाता तेल कराने की बात कहकर फाइलें महीनों तक रोके रखते हैं। इधर समूहों ने आरोप लगाया कि विभागीय उदासीनता के कारण न केवल उनका आर्थिक कारोबार प्रभावित हुआ है, बल्कि रसोइयों और उनके परिवारों पर भी भारी संकट खड़ा हो गया है। कई केंद्रों में बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था बाधित होने की स्थिति बन चुकी है।

साझा चूल्हा कार्यक्रम के प्रति गंभीर नहीं है आईसीडीएस

दरअसल साझा चूल्हा कार्यक्रम योजना को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी गंभीर नही हैं। इसीलिए साझा चूल्हा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त है। जिसके बारे में सीडीपीओ से लेकर डीपीओ तक का भी पता है, परंतु इन्ही अधिकारियों के लापरवाही के बदौलत साझा चूल्हा कार्यक्रम योजना से समूहो की भी दिलचस्पी धीरे-धीरे कम होने लगी है। अब सूत्र बताते हैं कि महज खानापूर्ति की जा रही है और मैदानी आईसीडीएस अमला भी समूहो पर दबाव भी नही बना पा रहा है और जब कभी आईसीडीएस अमले की नींद टूटी है तो समूहो पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। उन्हें जवाब मिलने लगता है कि जब भुगतान ही नही हो रहा है तो दुकानदारों से उधार लेकर कब तक काम चलेगा। इस जवाब को सून महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमला भी चुप्पी साध लेते हैं।

रसोइयों की तत्काल भुगतान कराने की मांग

साझा चूल्हा कार्यक्रम से जुड़े स्व सहायता समूह की महिलाओं एवं रसोइयां कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की यह योजना बच्चों और महिलाओं के पोषण से जुड़ी है, इसलिए इसमें देरी या लापरवाही सीधी जवाबदेही बनती है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि तत्काल रसोइयों और समूहों का बकाया भुगतान जारी कराया जाए और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की जांच की जाए। वहीं यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो साझा चूल्हा योजना पूरी तरह ठप पड़ने का खतरा है, जिससे हजारों लाभार्थियों पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि इस तरह का मामला कोई नया नही है। पिछले वर्ष भी इसी तरह का पारिश्रमिक एवं समूहो का भुगतान लंबित पड़ा हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद तत्कालीन डीपीओ राजेशराम गुप्ता ने भुगतान किया था।

इनका कहना :-

साझा चूल्हा कार्यक्रम में समूहो एवं रसोइयों के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही भुगतान हो जाएगा।

जितेन्द्र गुप्ता
डीपीओ, आईसीडीएस, सिंगरौली

जिले की एक विशेष वर्ग की महिला लव ट्रैप की हुई शिकार

दो करोड़ से ज्यादा की ठगी, आरोपी की तलाश जारी

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 11 दिसम्बर। जिले की एक विशेष वर्ग की महिला के साथ ऑनलाइन दोस्ती के बहाने करोड़ों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुस्लिम महिला के सरकारी कर्मचारी पति की मौत के बाद उन्हें मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी और बड़ी धनराशि प्राप्त हुई थी। इसी दौरान फेसबुक मेसेंजर के माध्यम से उनकी दोस्ती गाजीपुर निवासी अविनाश यादव से हुई। उक्त मामले से जुड़ा फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि पीड़िता से किसी भी प्रकार की कोई बात नही हो पाई। अविनाश ने खुद को अविवाहित बताते हुए महिला का विश्वास जीता और बाद में कोर्ट मैरिज भी कर ली। शादी के बाद पीड़िता को पता चला कि अविनाश पहले से शादीशुदा है। आरोप है कि अविनाश ने धोखे से पीड़िता के पति की मौत के बाद मिली 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और कीमती जेवर अपने कब्जे में ले लिया। यहां बताते चले कि उक्त पीड़िता यूपी में नौकरी करती है और सिंगरौली जिले की निवासी है। पीड़िता ने न्याय के लिए उ.प्र. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में गुहार लगाई, जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश तेज कर दी है। पुलिस टीम दबिश देकर अविनाश यादव की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। मामले की जांच जारी है।

मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, असली सेवा यही है : अमित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 11 दिसम्बर। विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बीते दिन बुधवार को मोरवा क्षेत्र के विभिन्न जगह जाकर गरीबों को कंबल वितरित किया।

इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने बताया कि सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा है। इसलिए उनका संगठन इस पुनीत अवसर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मोरवा के अन्य चौराहों व बस्तियों में जाकर जरूरत मंदों को कंबल वितरण का कार्य कर रहा है, जो अनवर्त मकरसंक्रांति तक चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में ऐसे कई गरीब परिवार हैं, जिन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में पर्याप्त वस्त्र नहीं मिल पाता है। जिसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के पदाधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे स्थान पर जाकर ऊनी वस्त्र एवं कंबल का वितरण किया जाना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से अमित तिवारी समेत प्रदेश महासचिव सतेंद्र पासवान, हरेंद्र राय व अन्य मौजूद रहे।

संन्यासी हत्याकाण्ड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर के न्यायालय से हुआ अहम फैसला, बरगवां थाना क्षेत्र की थी घटना

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 11 दिसम्बर। बरगवां थाना क्षेत्र के डगा में चाय-नास्ता बनाने वाले एक रसोइयां श्रमिक की 24-25 जुलाई 2022 की रात में धारदार हथियार से आरोपियों ने हत्या कर दिया था। जहां पुलिस की विवेचना उपरांत इस अंधीहत्या की गुत्थी को पुलिस सुलझाते हुये प्रकरण को न्यायालय देवसर में अभियोग पत्र पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा उक्त हत्याकाण्ड में अहम फैसला सुनाया गया है।

अपर लोक अभियोजक मारकण्डेय मणि त्रिपाठी न्यायालय देवसर ने उक्त आशय की जानकारी देते हुये बताया कि 24-25 जुलाई 2022 को सन्यासी बैस उर्फ मथुरा बैस निवासी डगा रमेश कुमार बैस के डगा में स्थित भोजन एवं चाय बनाने का काम करता था। 24-25 जुलाई 2022 की रात में खाना खाकर सोया था कि रात करीब 2:30 बजे अचानक सन्यासी बैस के चिल्लाने की आवाज सुनकर बगल में तखत पर सोया रमेश बैस की नींद टूट गई और देखा कि तीन अज्ञात व्यक्ति

चाकू से सन्यासी को मार रहे हैं। रमेश के चिल्लाने पर आरोपीगण बाईक से कनई की ओर भाग गये। आरोपियों ने सन्यासी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने से उसकी मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर बरगवां पुलिस मौके से पहुंच शव को अपने कब्जे में लेते हुये अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 302, 460,34 के तहत 25 जुलाई को अपराध पंजीबद्ध करते हुये उपनिरीक्षक रामजी त्रिपाठी ने शव का परीक्षण करवाया। पुलिस विवेचना उपरांत इस अंधीहत्या को अंजाम देने वाले आरोपी मनोज कुमार पिता विनोद कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी ओड़गड़ी, शिवसागर उर्फ जितेन्द्र पिता रमेश प्रसाद साकेत उम्र 20 वर्ष एवं बाबूलाल उर्फ अजय पिता रामप्रसाद साकेत उम्र 19 वर्ष निवासी घिनहा गावं तथा सूरज कुमार साकेत पिता ललन साकेत उम्र 20 वर्ष निवासी डगा के रूप में पहचान हुई। बरगवां पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। वहीं विवेचना उपरांत पुलिस ने समक्ष साक्ष्यों के साथ 18 अक्टूबर को न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया था। श्री त्रिपाठी ने तार्किक एवं साक्ष्यों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर विजय कुमार सोनकर के समक्ष पेश किया। जहां न्यायाधीश द्वारा आरोपी मनोज कुमार, शिवसागर, सूरज कुमार एवं बाबूलाल को आजीवन कारावास की सजा तथा पॉच-पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया गया।